प्राविडेन्ट फ़ण्ड (पी॰एफ) पर ज़कात

प्राविडेन्ट फ़ण्ड जब तक आदमी के क़ब्ज़े में न आ जाए, उसकी ज़कात वाजिब न होगी। जब यह रक़म वसूल हो जाए और निसाब के बराबर हो और उसपर एक साल बीत जाए तब उसकी ज़कात निकाली जाएगी।

कुछ लोग इन्कम टैक्स से बचने के लिए या किसी और वजह से स्वेच्छा से कुछ अतिरिक्त रक़म प्राविडेन्ट फ़ण्ड में जमा कराते हैं, इसके बारे में यह हुक्म है कि उसपर हर साल ज़कात निकालनी होगी, अगर वह निर्धारित निसाब के बराबर या उससे.ज्यादा हो चुका हो। स्वेच्छा से कटाई गयी रक़म की हैसियत वदीअत (अमानत के तौर पर रखे गए माल) की है और वदीअत वाले माल पर ज़कात वाजिब होती है।

☆☆☆